FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

कृष्णा देवी बनाम अमरपाल वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	न. या ता. अहकाम जो जारी हुआ
	मिसल नं. 256/2022	

12-10-22

आज यह प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थीया ने दावे के साथ पेश किया। दावा व प्रा.पत्र को साथ–साथ पढ़ा गया। वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस वकील प्रार्थीया व प्रा. पत्र के संलग्न दस्तावेजात एवं शपथ पत्र प्रार्थीया से प्रार्थीया का पृथम दृष्टया मामला प्रतित होता है, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। तथा नापूर्ति क्षति होने का अन्देशा भी प्रार्थी को ही है।

अतः अप्रार्थीगण को जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 22.11.2022 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वे आ.ख.नं. हाल 184/1.04 वाके ग्राम फतेहपुरा तह0 नीमराना की वो आराजी मुतनाजा को दिगर जगह रहन बय हिबा व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल ना करे। ना ही प्रार्थीगण को उपयोग उपभोग करने मे स्वयं व अपने परिवार के सदस्यों व दिगर व्यक्तियों के माध्यम से दिक्कत बाजी पैदा करे। ना ही कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा करे,कच्चा–पक्का निर्माण करे, गलत इन्द्राजात के आधार पर बेचान करे। मौका व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाए रखे।

तथा क्यौना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई करदी जावे जो भी इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वंय अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे। वकील प्रार्थी इस अमर का टी0आई0 तलबाना रजिस्ट्रड ए0डी0 पेश करे। आदेश 39 नियम 03 जा.दी. की पालना हो। अप्रार्थीगण जरिए रजिस्ट्रर्ड ए0डी0 तलब हो बाद तलबी पत्रावली दिनांक 22.11.2022 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी

नीमराना (अलवर) राज.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19-2-24	आज यह पत्रावली पेश हुई। बार संघ नीमराना द्वारा कार्य स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18-4-24 को पेश हो। [signature] रीडर
18-4-24	आज पत्रावली पेश हुई। [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] दौरे - चुनाव कार्य मीटिंग में पधारे है। पत्रावली समक्ष दि. 29-7-24 को पेश हो। [signature]
29-7-24	आज पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। पत्रावली में मूल वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज हो चुका है। अतः प्रा. पत्र भी अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली असल शुमार होकर नम्बर से कम होवे बाद फैसल संलग्न मूल वाद रहे। [signature] उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)